बिहार सरकार
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग।

आदेश

दिनांक 23.03.2016 को दैनिक समाचार पत्र ''दैनिक भास्कर'' में प्रकाशित समाचार ''जेल में सुलेखा ने खाया राजबल्लभ का नमक'' के संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जिला पदाधिकारी, नालंदा को जाँच कर जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया, जिसके आलोक में जिला पदाधिकारी, नालंदा द्वारा त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया गया। इस त्रिसदस्यीय जाँच समिति के द्वारा जाँच कर जिला पदाधिकारी को प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसके आलोक में जिला पदाधिकारी, नालंदा ने अपने पत्रांक 1944/गो. दिनांक 25.03.2016 द्वारा विस्तृत जाँच प्रतिवेदन समंतव्य समर्पित किया है।

2. जिला पदाधिकारी, नालंदा से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षोपरान्त कई प्रकार की अनियमिताएँ पाई गई है, जिनमें कारा में प्रावधान के विपरीत कारा के अंदर कारीगर ''cooks'' को बुलाकर विशेष प्रकार का पकवान बनवाना, काफी बड़ी मात्रा में सामग्रियों का बिना गेट पंजी में प्रविष्टि का जेल में प्रवेश कराना, जेल की महत्वपूर्ण पंजियों का संधारण नियमानुसार नहीं किया जाना, प्रावधान के विपरीत श्री राजबल्लभ यादव आरोपी विधायक को आवंटित वार्ड संख्या–19 में डी.टी.एच. का कनेक्शन दिया जाना इत्यादि सम्मिलित है तथा इसके अलावा भी अन्य कई प्रकार की गंभीर अनियमितताएँ पाई गयी है।

3. अतः उक्त गंभीर अनियमितताओं के आलोक में श्री रामानन्द पंडित, सहायक अधीक्षक, मंडल कारा, बिहारशरीफ को तत्कालिक प्रभाव से निलंबित करते हुए उन्हें मंडल कारा, अररिया में संलग्न किया जाता है।

4. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के विहित प्रावधानों के अन्तर्गत उन्हें नियमानुसार जीवन यापन भत्ता संलग्न किये गये कारा से देय होगा।

5. इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित करने की कार्रवाई अलग से की जाएगी।

ह0/–
(आनन्द किशोर)
महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–कारा/नि.को.(अधी.)01–02/2016 ....1845.... पटना, दिनांक 26 मार्च, 2016।

प्रतिलिपिः–जिला पदाधिकारी, नालंदा/अधीक्षक, मंडल कारा, बिहारशरीफ/अधीक्षक, मंडल कारा, अररिया/वृताधीक्षक, आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, स्थापना प्रशाखा, कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, पटना एवं श्री रामानन्द पंडित, निलंबित सहायक अधीक्षक, मंडल कारा, बिहारशरीफ को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. अधीक्षक, मंडल कारा, बिहारशरीफ को निदेश है कि श्री पंडित को अविलम्ब मंडल कारा, अररिया में योगदान करने के लिए विरमित करें तथा इसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को दें।

26/3/16

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।